तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/4510/2003/चूरू प्रहलादराम बनाम गजानन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस

एकलपीठ

श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य

उपस्थित–

श्री माधवराज अभिभाषक प्रार्थी

श्री डूंगर सिंह अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 08.02.2021

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के आदेश दिनांक 8–8–2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

आक्षेपित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30–12–2002 दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लेने बाबत था उसे खारिज किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि जब वादी ने दस्तावेज तनकी कायम होने के बाद पेश किये जो रेकार्ड पर ले लिये तो प्रार्थी की ओंर से प्रस्तुत दस्तावेजात जो पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में लगे हुये हैं उनको रेकार्ड पर नहीं लेने में विधिक भूल की है। प्रार्थी अपने अभिभाषक पर निर्भर था। अभिभाषक की गलती का दण्ड पक्षकार को नहीं भुगताया जा सकता। दस्तावेज जो अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली में लगे हुये हैं उन्हें भी न्यायालय को देख लेना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/4510/2003/चूरू प्रहलादराम बनाम गजानन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस

चाहिये था क्योंकि वह भी पत्रावली का भाग है। पत्रावली जो इसी न्यायालय की थी उसे तलब कर लेना चाहिये था। इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थना पत्र दिनांक 18–12–2002 को स्वीकार करने के आदेश प्रदान किये जावें।

जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा दिनांक 16–11–94 को जबाब दावा पेश किया गया था। इसके समर्थन में दस्तावेज दिनांक 30–12–2002 को लगभग 8साल बाद पेश किये हैं। इस विलम्ब का कोई ठोस एवं पर्याप्त कारण नहीं बताने से प्रार्थना पत्र सही रूप से खारिज किया है। निगरानी खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली में दिनांक 26–7–93 को दस्तावेज मय फेहरिस्त सूची में सत्य प्रतिलिपियां संलग्न हैं। दिनांक 18–3–96 को मूल दावे में फेहरिस्त मय दस्तावेज सूचि में इन्ही दस्तावेज का उल्लेख है। जिसमें उसके द्वारा नकल प्राप्त होने के बाद उक्त दस्तावेजात को प्रस्तुत करने हेतु नोट भी अंकित किया हुआ है। प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली में दस्तावेज दिनांक 26–7–93 को फेहरिस्त मय दस्तावेज के साथ पेश की थी। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि इन दस्तावेज के बारे में अप्रार्थी वादी को जानकारी नहीं रही हो। पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत है। प्रतिवादी ने उक्त दस्तावेजात का उल्लेख फेहरिस्त मय दस्तावेज में पूर्व में ही किया है। हालाकि उसके द्वारा उक्त दस्तावेज मूल पत्रावली में काफी समय बाद प्रस्तुत किये हैं।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/4510/2003/चूरू प्रहलादराम बनाम गजानन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस
	इसलिये देरी को कण्डोन कोस्ट के आधार पर किया जा सकता है। यदि उक्त दस्तावेजात को रेकार्ड पर नहीं लिया जाता है तो उसके हितों पर कुठाराघात होने एवं अपूर्णनीय क्षति होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः निगरानी रूपये 2000/–(अक्षरे दो हजार रूपये)कास्ट पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 8–8–2003 निरस्त किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18–12–2002 स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने के आदेश दिये जाते हैं। कोस्ट की राशि प्रार्थी अप्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्धारित तारीख पेशी पर अदा करनी होगी। उभय पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.03.2021 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है। प्रकरण काफी पुराना हो चुका है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का विधि अनुसार शीघ्र निस्तारण करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सतीश चन्द्र गोदारा) सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/4510/2003/चूरू प्रहलादराम बनाम गजानन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस